जावक 2 186 दि० 26/2/09

XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **07/33/03/07841/09**

यह प्रमाणित किया जाता है कि सेन्ट शारोन शिक्षण समिति, समिति जो 31/4,शिवाजी रोड़,बड़नगर, तहसील बडनगर जिला उज्जैन में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 26/02/2009 को पंजीयित की गई है।

दिनांक छब्बीस माह फरवरी सन् 2009

मुद्रा

समितियों के रजिस्ट्रार

सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएँ
उज्जैन संभाग, उज्जैन

प्रारूप–सात जावक क्रं. 203 दि. 23/6/23

(नियम 11 देखिए)

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन
शासी–निकाय की सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र

1. सोसायटी का नाम, पूरा पता, मोबाइल नम्बर :– सेंट शारोन शिक्षण समिति, शेखपुर बड़नगर, जिला :– उज्जैन 456771
पता :– 44/2 शेखपुर तहसील बड़नगर जिला:– उज्जैन 456771
तथा ई–मेल तथा आई.डी. :– st.martinschool@yahoo.com 9424085722
2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : 07/33/03/07841/09 दिनांक 26/02/2009
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख: 15/06/2023
4. विद्यमान पदधिकारियों की सूची कार्यकाल 04/12/2022 से 03/12/2025 तक।

क्र.	नाम पिता / पति का नाम	पता	मोबाइल नम्बर	धारित पद	मुख्य उपजीविका	हस्ता/–
1	श्री एम. अंतोनी जार्ज पिता श्री ए. मार्टिन	शेखपुर तहसील बड़नगर जिला:– उज्जैन 456771	9424085722	अध्यक्ष	प्रा. नौकरी	(हस्ताक्षर)
2	श्रीमती रोजालिया निनामा पति स्व. श्री डोमनिक निनामा	पंचकुई मेघनगर, जिला:–झाबुआ, (म.प्र.)	9424038982	उपाध्यक्ष	गृहणी	रोजालिया
3	श्रीमती नितिका ताहेड पति श्री अमित ताहेड	नवापाडा मेघनगर, जिला:–झाबुआ, (म.प्र.)	9993357542	सचिव	गृहणी	(हस्ताक्षर)
4	श्री अमित निनामा पिता श्री स्व. डोमनिक निनामा	पंचकुई मेघनगर, जिला:–झाबुआ, (म.प्र.)	8839472022	कोषाध्यक्ष	प्रा. नौकरी	(हस्ताक्षर)
5	श्रीमती विमला निनामा पति श्री अमित निनामा	पंचकुई मेघनगर, जिला:–झाबुआ, (म.प्र.)	8435309842	संयुक्त सचिव	गृहणी	विमला
6	सुश्री एम. मरिया सेलवी पिता श्री ए. मार्टिन	बर्डीपाडा जिला:–तापी, (गुजरात)	7000417991	सदस्य	गृहणी	(हस्ताक्षर)
7	श्री ए. माइकल प्रगासम पिता श्री अंलकारम्	7/1, बाउंड्री रोड, इन्दौर	9691114799	सदस्य	चिकित्सा	(हस्ताक्षर)

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्र. 44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन 2000 रू. की वार्षिक फीस ऑनलाईन चालान दिनांक 15/6/23 के माध्यम से जमा कर दी गई है, उसकी प्रति संलग्न है चालान आईडेन्टिफिकेशन नंबर है।

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

घोषणा–पत्र

मैं श्री एम. अंतोनी जार्ज पिता श्री ए. मार्टिन आयु लगभग 50 वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के अधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा 2 के अधीन दण्ड की दायी हो रहूँगा।

(दौलतराम सेहरिया)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐ उज्जैन संभाग, उज्जैन

हस्ताक्षर ....
नाम : श्री एम. अंतोनी जार्ज
President,
Saint Sharon Education Committee
Barnagar (Ujjain) M.P.
पदनाम: अध्यक्ष
मो. 9424085722
ई.मेल.आई.डी. : st.martinschool@yahoo.com

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BZ 138466

संस्था सेंट शारोन शिक्षण समिति, शाजापुर पंजीयन क्रमांक 7841 दिनांक 26-02-2009 के नाम से दिनांक 19-6-23 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी राजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 19-6-23 को आवेदक श्री एस. अंतोनी राज के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है। धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध में प्रमाण पत्र/आदेश नहीं है।

(दौलतराम सेहरिया)

प्रभारी सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थाऐ उज्जैन संभाग, उज्जैन

मध्यप्रदेश सोसायटी

209
13.6.23

सेंट आरोन शिक्षण समिति बड़नगर

ह. अंतोनी आर्य

6574 3274 0852

2023
उज्जैन (म.प्र.)

अंकित त्रिवेदी
स्टाम्प विक्रेता
बडनगर
ला.क्रमांक 10/2012-13

आवक क्र. 656 दि. 03/11/2020

संस्था पंजीयन क्रमांक 7841 दि. 26/02/09
संशोधन दिनांक 14/10/2020

संशोधित

नियमावली

(1) समिति का नाम :— सेन्ट शारोन शिक्षण समिति

(2) समिति का कार्यालयः— 44/2, शेखपुर बड़नगर तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन (म.प्र.) में स्थित होगा।

(3) सोसाइटी का कार्यक्षेत्रः— सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा ।

(4) **समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—**

1. राष्ट्र के बहुमुखी विकास के लिये खेलकूद की गतिविधियों का नियमित रूप से संचालन करना।
2. शिक्षा का प्रचार—प्रसार करना।
3. विद्यालय—महाविद्यालय की स्थापना करना।
4. शासन द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार—प्रसार करना व लोगों में जनजागृति पैदा करना।
5. प्रौढ़ महिला एवं पुरूषों को साक्षर करने हेतु प्रयास करना।
6. महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, हस्तकला का प्रशिक्षण देना।
7. विद्वानों, लेखकों, कवियों, कलाकारों व अन्य प्रतिभाओं का सत्कार कर उन्हें सम्मानित करना।
8. विभिन्न साहित्यिक व सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन करना।

विशेष :— उद्देश्यों का क्रियान्वयन शासन के सम्बन्धित विभाग से पूर्व अनुमति/मान्यता आदि प्राप्त कर ही किया जावेगा व अनुमति के पूर्व समिति में सदस्य बनने/विद्यार्थियों को प्रवेश देने हेतु समिति के नाम व उद्देश्यों आदि का प्रचार प्रसार नहीं किया जावेगा।

(5) **सदस्यता :— संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :—**

(अ) **संरक्षक सदस्य** :— संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 1000/— या अधिक एकमुस्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा।

(ब) **आजीवन सदस्य** :— जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 500/— या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य संस्था को रूपये 500/— या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है।

(स) **साधारण सदस्य** :— जो व्यक्ति रुपये 5 प्रतिमाह अथवा रूपये 60/— प्रति वर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधी के लिए सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक देय चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिए नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया राशि पर पुनः देने पर सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) **सम्मानीय सदस्य** :— संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस सयम के लिए जो भी वह उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है, परन्तु उनकों मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(6) **सदस्यता की प्राप्ति** :— प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा, जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

(7) **सदस्यों की योग्यता** :– संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
(2) भारतीय नागरिक हो ।
(3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
(4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

संशोधन किया गया। क्रमांक 7841 दि 26/02/09 संशोधन दिनांक 14/10/2020

(8) **सदस्यता समाप्ति** :– संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जाएगीः–

(1) मृत्यु हो जाने पर ।
(2) पागल हो जाने पर ।
(3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम–5 में बताए अनुसार जमा न करने पर।
(4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
(5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिए जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देना होगी।

(9) **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी, जिसमें निम्न लिखित ब्यौरे दर्ज किये जाएंगेः–**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर ।
(2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।
(3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

अतिरिक्त रजिस्ट्रार ऑफ संस्थाएं, उज्जैन संभाग, उज्जैन

(10) (अ) **साधारण सभा**–

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शायें श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी। परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जाएगी। उसमें संस्था के पदाधिकारी का विधिवत् निर्वाचन किया जायेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिये कोरम की कोई शर्त लागु न होगी।

(स) विशेष :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिसव के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष | **सचिव** | **कोषाध्यक्ष**

संशोधन विषय भाग।
पंजीयन क्र. 7841 दि. 26/02/09
संशोधन दिनांक 14/10/2020

(11) **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

(ख) संस्था की स्थायी निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

(ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

(ड) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(च) बजट का अनुमोदन करना।

(12) **प्रबंधकारिणी का गठन :–** ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शायें गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष

(5) संयुक्त सचिव सचिव एवं सदस्य – 02(दो)

(13) **प्रबंध समिति का कार्यकाल :–** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। समिति यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी किन्तु उक्त उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी। जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

(14) **प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों की नियुक्ति करना।

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो समय समय पर साधारण सभा द्वारा सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी के नाम पर रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएगी।

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जाएगा।

(झ) रजिस्ट्रार महोदय से भूमि भवन की धारा 21 के तहत अनुमति प्राप्त कर भूमि/भवन हेतु संस्था किसी अधिसूचित बैंक/वित्तिय संस्था से ऋण/लोन आदि प्राप्त कर सकेगी। ऋण लोन प्राप्त करने हेतु संस्था बैंक में नियमानुसार भूमि/भवन रहन गिरवी रख

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

पंजीयन क्रमांक 7841 दि. 26/02/09
संशोधन दिनांक 14/10/2020

सकेंगी। बैंक के ऋण/लोन का भुगतान किश्तों का भुगतान करने का दायित्व संस्था कार्यकारिणी का रहेगा।

(15) **अध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा ।

(16) **उपाध्यक्ष के अधिकार** :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकार का उपयोग करेगा।

(17) **सचिव (मंत्री) के अधिकार** :–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।

(2) समिति का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

(3) समिति के समस्त कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

(4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 300/– खर्च करने का अधिकार होगा।

(18) **संयुक्त सचिव के अधिकार** :– सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य संयुक्त सचिव करेगा।

(19) **कोषाध्यक्ष के अधिकार** :– समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

(20) **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम 500/– रूपये रहेंगे।

(21) **पंजीयक को भेजी जानी वाली जानकारी** :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था द्वारा संचालित इकाईयों का परीक्षित लेखी भेजेगी विहित फिस सहित।

(22) **संशोधन** :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। विहित फिस सहित।

(23) **विघटन** :– संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही संस्था अधिनियम के प्रावधान के अनुसार की जावेगी।

अध्यक्ष **सचिव** **कोषाध्यक्ष**

(24) **सम्पत्ति** :–संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा, या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी। विहित फिस सहित प्रावधानों के अनुसार। सेन्ट शारोन शिक्षण समिति के नाम से चल अचल सम्मत्ति नहीं है।

(25) **बैंक खाता** :– संस्था की समस्त निधि के लिये खाता किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया की जावेगी।

(26) **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना** :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। तथा वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(27) **विवाद** :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधीकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों में संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की और विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकारी रजिस्ट्रार को होगा।

(28) **विशेष** :–उद्‌दश्यों का क्रियान्वयन शासन के सम्बंधित विभाग से पूर्व अनुमति/मान्यता आदि प्राप्त कर ही किया जावेगा। व अनुमति के पूर्व समिति में सदस्य बनने/विद्यार्थियों का प्रवेश देने हेतु समिति के नाम व उद्‌देश्यों आदि का प्रचार नही किया जावेगा।

संशोधन किया गया।
क्रमांक 7841 दि 26/02/09
संशोधन दिनांक 14/10/2020

T. C.

(दौलतराम सेहरिया)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं उज्जैन संभाग, उज्जैन

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

BH 562463

Cancel

(दौलतराम सेहरिया)
प्रभारी सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं उज्जैन संभाग, उज्जैन

संलग्न 7841 / 26/2/09 संशोधित विधान की प्रति/

307
23.10.20

सेंट शारोन शिक्षण समिति बड़नगर
द्वारा - एम. ऐंथोनी फ्रांसिस अध्यक्ष

[signature]

657432740852

कार्या. उप कोषा. बड़नगर
दिनांक -5 OCT 2020

अंकित त्रिवेदी
स्टाम्प विक्रेता
बडनगर
ला. क्रमांक 10/2012-13